



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 144

नई बिल्ली, शनिवार, भार्च 31, 1990/चैत्र 10, 1912

No. 144]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1990/CHAITRA 10, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जासी ही जिससे कि यह अख्य संकासन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जलभूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

ग्रधिम् चनाएं

नई दिल्ली: 31 मार्च, 1990

मा का. ति. 435(भ्र) ---केन्द्रोय मरकार, महापन्त स्थाम अधितियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपवारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रतन कितायों का प्रयोग करते हुए तब्द्धारा निकालिशित तालिशा में कम गी. 1 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों का बक्बई पन्तन के न्यामित मंडल में स्थामों निवृत्तन करता है सथा उनत नालिशा में कम याया 13 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की उपन मंडल में चृत गए न्यानियों के रूप मैं अधिभृत्तिन करती है।

নাদিকা

- । अध्यक्ष
- ः उपाध्यक्ष
- अधिव (गृह, परिवहन विशाग) महाराष्ट्र सरकार
- मंगुक्त सचित्र (पत्तन)
 जल-मृत्तन परिवह्न मंद्रालय
- मीमा मुक्त कलकटर. सम्बद्धः
- प्रलेग भाषितर के चं फ स्टाफ चाफिसर महाराष्ट्र कें ब

- महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्य करने के लिए
- जल-मृतल परिवहत मंत्राखय का प्रतिनिधित्य करने के लिए
- मामा शुक्त बिनाग का प्रतिनिधित्व अभने के लिए
- रक्षा सेवाओं -- नोंसेना का प्रतिनिधिस्व करने के लिए

9 G1/90

७. म्सम	परिचालन	प्रचीत्रक,
संक	ल केल के क	THE S

- निवेशक (मार्केंदिण प्रभाग),
 भारतीय तेल निगम लि., बम्बई
- श्री जगदीश सी, शेच,
 श्रम्यस एवं प्रवच्य निवेशक,
 भारतीय नोंधहन निगम लि.
- भ्राठ्यक्ष, अथाहर लाल नेहरू पत्तन, नहाथा शेवा
- 1]. डा. मान्ति पटेल
- 12 श्रीएस घार कुलकर्णी
- 13. श्री ए सी पदमसी
- 14. श्री की एम पारेख
- 15. भी ए एस वासकीवाल
- 16. श्री जी माणरानी
- 17. श्री प्रवीण कनाकिया
- 18. श्री प्राण लाल भोगीलाल
- 19. श्री झार एस अपूर कार्यकारी निदेशकः
 - 2. यह ग्रविश्वचना । ग्रप्रैल, 1990 से प्रमावी होगी।

भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के किए

मारतीय तेल निगम का प्रतिविधित्व करने के लिए

भारतीय नौबहुन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए

जवाहर लाज नेहरू पत्तन का प्रतिनिधित्व करते के जिए

पत्तन में लगे अमिकों का प्रतिभिधित्व करने के लिए

बाल इंडिया थिपर्स कौंसिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए

इंडियन नेशनल शिपद्मानसं एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए

महाराष्ट्र चैम्बर माफ कामसँ, बम्बई का प्रतिनिधित्य करने केलिए

बम्बई चैम्बर भाफ काम्यं एष्ट इंडस्ट्री बस्वई का

प्रतिनिधित्य करने के लिए

कस्टम्स हाउस एजेण्ट्स एसोसिएशन बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए

इंडियन मर्चेन्ट्स चैन्दर, सन्दर्द का प्रतिनिधित्व करने के लिए

बम्बई एवं न्हाबा शोक शिप इंटरमोडल एप्रेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा.सं. पोर्टा-18011-1/89-पाटी]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing) NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1990

G.S.R. 425(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 19, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board:—

Table

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary (Deptt of Home Transport) Govt. of Maharashtra.
- 4. Joint Secretary (Ports), Min. of Surface Transport
- 5. Collector of Customs, Bombay
- 6. Chief Staff Officer to Flag Officer, Maharashtra Area

Representing the Govt. of Maharashtra.

Representing the Ministry of Surface Transport.

Representing the Customs Deptt.

Representing the Defence Services—Navy.

8. Director, (Marketing Division) Indian Oil Corporation Ltd, Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation.
9. Shri Jagdish C. Sheth Chairman & Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd.,	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
10. Chairman, Jawaharlal Nehru Port, Nhava Sheva	Representing the Jawaharlal Nehru Port.
11. Dr. Shanti Patel	Representing Labour employed in the port.
12. Shri S.R. Kulkarni	
13. Shri A.C. Padamsee	Representing the All India Shippers Council
14. Shri V.M. Parekh	Representing the Indian National Shipowners Association.
15. Shri A.S. Kasliwal	Representing the Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.
16. Shri G. Mathrani	Representing the Bombay Chamber of Commerce & Industry Bombay.
17. Shri Praveen Kanakia	Representing the Customs House Agents Association, Bombay.
18. Shri Pranlal Bhogilal	Representing the Indian Merchants Chamber, Bombay.
19. Shri R.S. Cooper, Executive Director	Representing Bombay Nhava Sheva Ship Agents Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day to April, 1990.

[PT-18011-1/89-PT]

सा.का. ति. 426(ब) -- केन्द्रीय सरकार, महापत्तन त्यास प्रधितियम, 1963 (1963का 38) की घारा 3 की उपबारा (6) के साथ पठित उपबारा (1) द्वारा प्रदत्त मिल्लियों का प्रयोग करते हुए एसद्वारा निम्नलिखित तालिका में कम सं. 1 से 13 तथा 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की जलकत्ता पत्तन के व्यासी मंडल में व्यामी नियुक्त करती है तथा उक्त नालिका में कम संख्या 14 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में जुने गए व्यक्तियों के रूप में प्रधिमुचित करती है, प्रयात्:---

	त। लिका
1. घड्मक	
द्व- उपाध्यक्ष (कलकत्ता पत्तन रेयास)	
3. उपाध्यक्ष (हरिवया डाक काम्प्लेणस)	
 सिष्यत, कामसे एण्ड इंडस्ट्री विमाग, पश्चिम संगाल सरकार 	पश्चिम बंगास सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
इं. संयुक्त सचिक (पत्तन)जल-मृतल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 🧻
6. सीमा शुक्त कलक्टर, कलकत्ता	सीमाशुरूक विमाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
 नेबल घाकिसर इम्बार्ज, कलकत्ता 	रक्षा सेवाएं—-नींसैना का प्रतिनिधित्व कर्ुने के लिए
 प्रमुख परिचालन भ्रमीक्षक, दक्षिण(पूर्व रेलवे, कलकत्ता 	भारतीय रेखने का प्रक्षितिधित्न करने के थिए
 प्रमुख चधिकारी, मक्टेंटाइल मेरीन विभाग, कलकत्ता 	मकेंन्टाइल मेरीन विभाग, कसकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के किए

10. को नीय महाप्रबंधक, भारतीय नौबहन निगम लि, कलकत्ता

भारतीय तेल निगम लि.
 भलकता

- 12. श्रीजानकी मुखर्जी
- 13. श्री पार्वती दास
- 14. श्री संजय सेन
- 15. श्रीएच पीने)पानी
- 16. श्री वीपक खैतान
- 17. श्री तारापद भक्षवर्ती
- 18. श्री बी एस बोस
- 19. मध्यक्ष व प्रवन्ध निवेशकः, केन्द्राय प्रम्तुर्वेगां,य जल परिवहन निशम, कलकः नाः

यह ग्रधिसूचना । ग्रमेस, 1990 से प्रभावा होगी।

भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए

भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए

श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो न्यासी

भाल इंडिया शिपसे कौंसिल का प्रतिनिधिल करने के लिए

नीवहन हित एसोसिएसन कलकत्ता का प्रतिनिधित्त्र करने के लिए

इंडियन चैम्बर ग्राफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए

वंगाल नेशनल चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

बंगाल चैम्बर आफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

केन्द्रोय अंतर्वेगाय जल परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा. सं. पी टी 18011-2/89-पीटी]

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 and 19 in the Table below to be the Trustees on the Board of Trustees for the port of Calcutta, and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman (Calcutta Port Trust)
- Dy. Chairman (Haldia Dock Complex)
- 4. Secretary, Commerce and Industries Department, Govt. of West Bengal.
- Joint Secretary (Ports)Min. of Surface Transport
- 6. Collector of Customs
- 7. Naval Officer-in-Charge, Calcutta
- Chief Operating Superintendent, South-Eastern Railways.
- 9. Principal Officer, MMD, Calcutta.
- Regional General Manager, Shipping Corporation of India, Calcutta.
- General Manager, Indian Oil Corporation Ltd. Calcutta.
- 12. Shri Janaki Mukherjee
- 13. Shri Parbati Das
- 14. Shri Sanjoy Sen

Representing the Govt. of West Bengal.

Representing the Ministry of Surface Transport.

Representing the Customs Deptt.

Representing the Defence Service-Navy.

Representing the Indian Railways.

Representing the Mercantile Marine Department, Calcutta.

Representing the Shipping Corporation of India Ltd.

Representing the Indian Oil Corporation of India Ltd.

Two Trustees representing Labour.

Representing the All India Shippers Council.

- 15. Shri H.P. Nopany
- 16. Shri Dipak Khaitan
- 17. Shri Tarapada Chakraborty
- 18. Shri D.S. Bose
- 19. Chairman & Managing Director, CIWTC, Calcutta

Representing the Association of Shipping Interests Calcutta.

Representing the Indian Chamber of Commerce.

Representing the Bengal National Chamber of Commerce and Industry.

Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry.

Representing the Central Inland Water Transport Corporation, Calcutta.

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1990.

[F. No. PT-18011-2/89-PT]

सा.का.नि. 427(प्र).---केन्द्रीय सरकार, महापत्तन स्यास प्रवित्यिम, 1963 (1963 का 38) की बारा 3 की उपवारा (6) के साथ पठित उपवारा (1) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतदुद्वारा निम्नलिखित मालिका में कम सं. 1 से 12 के सामने उलिलिखिन व्यक्तियों को महाम। पत्तन के न्यांसी भंडल में न्यासी नियुक्त करती है नया उक्त तालिका में कम मध्या 13 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की उक्त मंडल में सुने गए न्यासियों के ६५ में घष्टिस्चित करती है।

ताजिका

- ा. भाष्यभ
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. परिवहन झायुक्त एवं सचिव तमिलताबु सरकार
- भध्यक्ष, भारतीय भन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- सीमा शल्क कलक्टर, मदास
- नेवल द्याफिसर इन्जाजं, मद्रास
- मुख्य प्रचालन प्रधीक्षकः, दक्षिणी रेलवे. महास
- 8. श्रध्यक्ष एवं महाप्रवन्धक, महान रिकाइनरो ३ लिमिटेड, भडाम
- संगुक्त प्रयन्छ निदेशक, भारतीय मोबहम निगम
- 10. महाप्रबन्धक, मिनरस्स एण्ड मैदलस् ट्रेडिंग कारपोरंशन धाक इंडिया लि.
- श्री एम सी सी एन्योमी पिल्ले
- 12. भी एस फुल्पन
- 13. भी के वी श्रीनियासन, . स**दने इंडि**या शिपर्स एसोर्सिएशन
- 14. श्रीके. मंभर,
- 15. श्रीराजीवराय, प्रजन्म निवेशक. मैसर्स पार के भार स्टीस्स ति०
- 16. भी के सी रमण
- 17. श्री की द्वारकान। यन

तमिलनाड् सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए

जल-भतल परिवहन मन्नालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए

सीमाशस्क विभाग का प्रसिनिधित्व करने के लिए

रक्षा सेवाओं --नीसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए

भारतीय रेलवे का प्रतिनिधिश्य करने के लिए

मद्रास रिफाइनरीज जि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए

भारतीय नौषहन निगम थि. का प्रतिनिधिख करने के लिए

मिन्दस्स एण्ड मैटस्स टेडिंग कारपीरेशन चाफ इंडिया लि॰ का प्रतिनिधित्व करने के लिए

पत्तन में लगे श्रामिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

पत्तन में लगे अमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

चाल इंडमा शिपर्स कौंसिल का प्रतिभिक्तिक करने के लिए

हिन्दुस्तान पैन्यर भाफ कामसं का प्रतिनिधित्व करने के लिए

इंडियन नेगनल गिपकीनसं एमोसिएमन का प्रतिनिधित्व करने के निए

महास चैम्बर भाफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए

सवनं इंडिया चैम्बर घाफ कामर्स एण्ड इंडम्डी का प्रतिनिधित्व करने के लिए

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers I to 12 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras, and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :-

Table

- 1. Chairman
- 2. Deputy Chairman
- 3. Commissioner and Secretary, Transport, Govt. of Tamil Nadu.
- 4. Chairman, IWAI
- 5. Collector of Customs, Madras
- 6. Naval Officer-in-Charge Madras.
- 7. Chief Operating Supdt. Southern Railway, Madras.
- 8. Chairman & Managing Director, Madras Refineries Ltd., Madras.
- 10. General Manager Minerals and Metals Trading
- Corporation of India Ltd. . 11. Shri S.C.C. Anthoni Pillai
- 12. Shri S. Krishnan
- 13. Shri K.V. Srinivasan
- 14. Shri K. Shankar
- 15. Shri Rajiv Rai, Managing Director, M/s RKKR Steels Ltd.
- 16. Shri K.C. Raman
- 17. Shri G. Dwarakanathan

- Representing the Government of Tamil Nadu.
- Representing the Ministry of Surface Transport.
- Representing the Customs Department.
- Representing the Defence Services—Navy
- Representing the Indian Railways
- Representing the Madras Refineries Ltd.
- 9. Joint Managing Director Shiping Corporation of India. Representing the Shipping Corporation of India.
 - Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.
 - Representing the labour employed in the Port
 - Representing the Labour employed in the Port.
 - Representing the All India Shippers Council.
 - Representing the Indian National Shipowners Association.
 - Representing the Hindustan Chamber of Commerce.
 - Representing the Madras Chamber of Commerce & Industry, Madras.
 - Representing the Southern India Chamber of Commerce and Industry.
 - 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F. No. PT-18011/3/89-PT]

मा का नि. 428(अ):--केस्ट्रीय सरकार, महापत्तन त्यास प्रधिनियमं, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित सासिका में कम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कोचीन पसन के न्यांसियों के बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है तथा उकत तालिका में कम संबंधा 12 से 15 के मामने अरूलिबात व्यक्तियों को अन्त बोर्ड का न्यासी बसने के लिये जने हुए न्यासियों के रूप में मधिस जिल करती है, नामत: --

तालिका		नास्कि
ί.	म्ह्यस	
2.	उप। ध्यक्ष	FF
3.	थ्रामुक्त एव गन्निम स निय विशे प संचिव, केरल सरकार	केरल अश्वार का प्रतिनिधित्व करमें के लिए <u>।</u>
4	निवेशक (नौयहन) जल-मूनल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतक परिश्रहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5.	सीमा शुस्य कलक्टर, नोचीन	सीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
G.	नेथल आफिसर इस्वार्ज, कोचीन	रक्षा सेवा का प्रतिनिधित्य करने के लिए।

14. Shri A. Gopakumar

15. Shri K. Sugunendran

 प्रसागीय रेलवे प्रबन्धक, विलिणी रेलके, ब्रिवेन्द्रम प्रभागः 	मारतोय रे ल वे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. ब्रह्मक, यंग भी है भी ए	वैरिंग प्रोडक्ट रक्सपोर्ट डिव्यअपर्पेट गांगोरिटी का प्रतिविधित्स करने के जिए।
 घ्रष्टपक्ष एवं प्रबन्ध निदेणक, कॉचीन रिफाइनरीज लि. 	कोचोन रिफाइनरोज लि. का प्रतिनिधिस्व करने के लिए।
10. श्री वयालर रिव	पतन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधिस्त करने के लिए।
11. थीं केपी एस मेनन	पत्तन में लगे श्रमिकीं का प्रतिनिधिस्य करने के लिए।
1७ आही एस. बिष्ट	- इंडियन नेणन _ा शिपक्रांतर्ग एसासिएणन का प्रतिनिधिक्य करने के किए।
13. श्री के, मालाहरिहरन	कीकीन भैक्यर क्राफ कामने एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिक्य, करते के लिए ।
1.4. र्शाए, गोपकुमार	इंडियन चैम्बर द्याफ कामर्स एण्ड इंडर्स्ट्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री के सुगुनेन्द्रन	साउथ बैस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिये।
 यह स्रक्षिश्चना 1 स्रशैल, 1990 से प्रभावी होगी। 	

[फा. सं. पी. टी.-18011-5/89-पीटी]

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin, and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

Board, namely:—			
TABLE			
1. Chairman			
2. Deputy Chairman			
3. Commissioner and Secretary Incharge of Ports, Govt. of Kerala	Representing the Government of Kerala.		
4. Director (Shipping) Min. of Surface Transport.	-Representing the Ministry of Surface Transport.		
5. Collector of Customs, Cochin.	-Representing the Customs Department.		
6. Naval-Officer-in-Charge Cochin	-Representing the Defence Services-Navy.		
 Divisional Railway Manager, Southern Railways, Trivandrum Division 	-Representing the Indian Railways.		
8. Chairman, Marine Products Export Development Authority	-Representing the Marine ProductsExports Development, Authority.		
Chairman & Managing Director. Cochin Refineries Ltd.	Representing the Coching Refineries Itd.		
10. Shri Vayalar Ravi	-Representing the Labour employed in the Port.		
11. Shri K.P.S. Menon	-Representing the Labour employed in the Port.		
12. Shri D.S. Bisht	-Representing the Indian National Shipowners' Association.		
13. Shri K. Balahariharan	Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry.		

Industry.

Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

-Representing the Indian Chamber of Commerce and

-Representing the South Western India Shippers

सा.का.ि. 429(वा):--केन्द्रीय सरकार, महापसान स्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराि अं को उपधार। (6) के साव परिवा जनधारा (1) द्वारा प्रवस वाक्सियों की प्रयोग करते हुए एतवुद्वारा निक्सनिविदा साणिका में क्रम सं 1 से 8 के सामने प्रस्तिन्त्रिय व्यक्तियों को कान्डला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड में त्यासी नियुक्त करकी है तथा उक्त तालिका में श्रम संख्या 9 से 12 के गामने उल्लिखित व्यक्तियों को उनत बोर्ड के जुने हुए त्यासियों के रूप में प्रविस् जित करती है, नामत: --

		नासिका
į	. ग्रह्मका	
2	. उपाध्यक्ष	
3	. सचिव सड़क तथा भवन विभाग, गुजरात सरकार	गुंजरात सरकार का प्रतिनिधित्य करने के लिए।
4	. निदेशका विकास जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	जल-मृतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5	डि प्टी कलक्टर, सीमा शुल्क, स्यू कांडला	सीमा शृहक विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6	नेंदल क्राफिसर इ त्वा र्ज, सौराष्ट्र	रक्षा सेवा-मौसेना का प्रति निधित्व करने के लिए ।
7.	क्षेत्रीय धर्धाक्षक पश्चिमी रेलने, गांधीधाम	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8.	कार्येकारी निदेशक तेल समस्त्रपन समिति, नई विल्ली	भारतीय क्षेत्र निगम का प्रतिनिधिस्य करने के लिए।
9	क्रैप्टन देवें द्र सिह	इंडियन नेशनल शिपश्रानसे एसोसिएशण का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10.	श्री विलीप द्राप , पारीख	गुजरात चैस्वर प्राफ कामसै एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्य करने के लिए।
11.	श्री भनभूत चौपना	पंजाब हरिक्राणा एष्ड विरुक्षि चैम्बर धाफ कामर्स एंड इंडरही का प्रतिनिधिस्व सरने के लिए।
1 2.	श्री धार.एम. स न्मल	गांधीधाम जैम्बर झाफ कामसं एक इंडस्ट्री का प्रतिनिश्चित करने के लिए ।

[फा. मं. पी.टी.-18011-4/89-पीटी]

2 यह प्रधिम् पना 1 प्रप्रैल, 1990 में प्रभावी होगी।

	[400	
G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 8 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 9 to 12 in the said table as elected to be Trustees on the said Board namely:—		
	TABLE	
1. Chairman		
2. Deputy Chairman		
 Secretary, Roads and Buildings Deptt., Government of Gujarat. 	of —Representing the Government of Gujarat.	
4. Director, (Development) Min. of Surface Transport	Representing the Ministry of Surface Transport,	
5. Deputy Collector of Customs, New Kandla	-Representing the Customs Department.	
6. Naval Officer-in-charge Saurashtra	Representing the Defence Services, Navy.	
7. Area Superintendent, Western Railway, Gandhidham	Representing the Indian Railways.	
 Executive Director, Oil Coordination Committee New Delhi. 	-Representing the Indian Oil Corporation.	
9. Capt. Devinder Singh	-Representing the Indian National Shipowners Association.	
10. Shri Dilip R. Parikh	-Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry.	
11. Shr: Man Phool Chopra	-Representing the Punjab, Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry.	
12. Sh R.S. Bansal	Representing the Gandhidham Chamber of Com- merce & Industry.	

This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

सा.का.ति. 430(क):--केन्द्रीय संस्कार, महापत्तन न्यास ग्राधिनियम, 1963 (1983 का 38) की ग्रास 3 की उपवारा (6) के साथ पठित उपदारा (1) द्वारी प्रयक्त प्रक्रियों का प्रयोग करते हुए एतबुदारा निकालियत तालिका में कम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखत व्यक्तियों को मरगांव पतन में प्यासी भंडल में प्यासी नियुक्त करती है तथा उपत सालिका में कम संख्या 12 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उपत मंडल में चूने कए स्थातियों के रूप में प्रशिक्ष जिल करती है।

संक्षिया 1. धर्मपश 2. उपाध्यक्ष मिष्य (धाई डक्ल्युटी) गोबा सरकार -- गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उप सचिव (पी डी) जल-भृतल परिवहन मंद्रालय --जल-भृतल परिवहन मंद्रालय का नितनिधित्व करने के लिए। सीमा गुरुक एवं केन्द्रीय अल्पाद शस्त्र, वंजिम के ग्राविरिक्त --सीमा शुरुक विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कलक्टर गोव। क्षेत्र के प्लेग बाफीसर का जीफ स्टाफ बाफीसर --रज्ञा सेवाचों (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 7. महाप्रबन्धक पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम, बम्बई -- भारतीय सेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए । प्रमागीय रेलवे प्रधन्धक दक्षिण सध्य रेलचे, हबली --भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए। प्रभागीय प्रबन्धक मिनरस्स एण्ड मैटल्स देखिंग कारपोरेशक --मिनरत्स एण्ड मैटल्स देखिंग कारपोरेशन भाक इंडिया खि. का प्रतिनिधित्व माफ इंडिया लि, गोबा करने के लिए। 10. की एस, भार, कुलकर्णी ─-पसन में लगे श्रमिकों का प्रतिनि।धल करने के लिए । 11. श्री ए. जे. पीटसं ---पत्तन में लगे अमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 12 श्रीएस. प्रतर, ठक्कर --इंडियन नेशनल शिपमानसं एसोसिएशन का प्रतिनिधिक्त करने के लिए। 13. श्री वास्देव थी, डेम्पी गीवा मिनरल भौर एक्सपोर्टन एसोसिएशल का प्रतिनिधस्य करने के लिए । 14. श्रीपी, एल, प्रंगले --गोवा चेम्बर भ्राप्त कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 15. आरोजी एस. नः इस — मृरगाव शिपस एजेन्टस एसोसिएशन का प्रतिनिधिस्य करने के लिए। ---गोबः बार्ज धानसं एसासिएशन का प्रतिनिधिय करने के लिए। 16. श्री प्रगोत वेशप्रभ् 2. यह प्रधिस्थमा 1 अप्रैल 1990 से प्रभावी होगी।

पता. सं. पी. टी.-18011-6/89-पी.**टी.**]

G.S.R. 430(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Pott Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said table as elected to be Trustees on the said Board namely:—

TABLE

2. Deputy Chairman 3. Secretary (IWT), Government of Goa

1. Chairman

- 5. Additional Collector of Customs and Central **Excise Panjim**
- 6. Chief Staff Officer to Flag-Officer, Goa Area
- 7. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation, Bombay
- 8. Divisional Railway Manager South Central Railway, Hubli.
- 9. Divisional Manager, Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., Goa

- Representing the Government of Goa.
- 4. Depty Secretary (PD) Ministry of Surface Transport Representing the Ministry of Surface Transport.
 - Representing the Customs Department
 - Representing the Defence Services-Navy.
 - Representing the Indian Oil Corporation
 - Representing the Indian Railways
 - Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., Goa.

10		THE GAZEFIE OF INDIA		[FART II38C, 3(1)]
	Shri S.R. Kulkarni		Representing the Labour	- -
11.	Shri A.J. Peters		Representing the Labour	employed in the Port
12.	Shri S.R. Thakkar		Representing the Indian ciation.	National Shipowners Asso-
13.	Shri Vasudev V. Demi	ро —	Representing the Goa M ciation.	lineral Ore Exporters Asso-
14.	Shri P.S. Angle	_	Representing the Goa C Industry.	Chamber of Commerce and
15.	Shri G.S. Naik		Representing the Mormution.	ngao Ships' Agents' Associa-

16. Shri Ashok Deshprabu

- Representing the Goa Barge Owners' Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F.No. PT-18011-6/89-PT]

सा.मा.नि. 431(अ):—केल्बीय सरकार, महापतन त्यास प्रक्षिानयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ अठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्निनिखित तालिका में अस सं. 1 से 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीय पतान कि व्यक्तियों के मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में अस सं. 11 मे 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में कृते हुए व्यक्तियों के रूप में प्रक्रिम्बित करती है।

		नासिका
1	. प्रष्युक्ष	
2	उपाध्यक्ष	سو =
3.	. संचित्रं, उड़ीसा सरकार	उड़ीसा शरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4.	वित्तीयं सलाहेंकारं, जल-मूतल परिवहने मंद्रालय	÷−जल-भूतल परिवहन संज्ञालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
5.	सीमा शुरूक कल्पन्टर, भुवनेष्वर	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व कश्ले के लिए ।
6.	प्रभागीय रैलर्थे प्रबन्धक दक्षिण पूर्वी रेल्ब्बे	—भारतीय रेखने का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
7.	नेवल ग्र [ा] फिस इंचार्ज, पारादीप	रक्षा सेवाएं-नौ सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
8. 9.	श्री पंचासन कामृतयो } स्रीमुद्याकर मंत्री	→पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
10.	महाप्रवत्यक ाम एम दी सी, कटक	∹-खनिक एवं घातु व्यापार निगंग प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
11.	. कैप्टन ग्रा.र.बी. मोहिन्दा	─-वंडियन नशतृत्व शिप ओनर्स एसोसिए,शन का प्रतिनिधिस्य करने के लिए ।
12	. श्री जी.पी, मोहल्ती	उड़ीसा के जैस्बर्स अ.फ कामर्स एँड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13.	्श्री एन के पटनायक,	जरकाल चैम्बर्मधाफ कामसँएंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

[फा. मं. पी.टी.-18011/7/89-पी. टी.]

G.S.R. 431(E):—In exercise of the powrs conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the port of Pardip, and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary, Government of Orissa.
- Representing the Govt, of Orissa
- 4. Financial Adviser, Min. of Surface Transport

2. यह प्रधिसूत्रना 1 प्रत्रैल, 1990 से प्रभावी होती।

- Representing the Min, of Surface Transport.

- 6. Divisional Railway Manager South-Eastern Railway 7. Naval Officer-in-Charge, Paradip 8. Shri Panchanan Kanungo 9. Shri Sudhakar Mantry 10. General Manager, MMTC Cuttack.
- 11. Capt. R.B. Mohindra
- 12. Shri B.P. Mohanty
- 13. Shri N.K. Patnaik

- Representing the Indian Railways.
- Representing the Defence Service (Navy).
- Representing the labour.
- -- employed in the port.
- Representing the Mineral and Metal Trading Corporation.
- Shipowners - Representing the Indian National Association.
- -- Representing the Orissa Chamber of Commerco and Industry.
- Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.

[F.No. PT-18011/7/89-PT]

सा.का.नि. 432(अ):--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन स्थास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की यारा 3 की उपधारा (6) के माथ पठिन उपवारा (1) द्वारा अवल गमितमें का प्रयोग करते हुए एत्रदहारा निम्नलिखित कालिका में कम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की विशाखापक्तनम पत्तन के ग्यासियों के मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम मं. 13 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए ग्यामियों के रूप में प्रधिस्थित करती है।

त।लिका

1. घध्यक्ष 2. उपाष्ट्रयक्ष प्रविद्यासिक, परिवहन सङ्ग, और निर्माण विभाग, ग्रांध्न प्रदेश सरकार. ---ग्रारध्य प्रवेण सरकार का प्रतिधितिधिस्य करने के लिए। 4. उप सचिव (पीटी) जल-भूतन परिवहन संवालय सीमा गुरुक के श्राविरिक्त कनक्टर, विश्वायननम --मीमा शस्क विभाग का प्रतिनिधिस्व करने के लिए । प्रभावीय रेलवे प्रबन्धक, वालडेवर विक्रण पूर्वी रेलचे. भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 7. नेबल प्राफिसर इन्बः जं, विशाखापत्तनम --रक्षा सेवाएं-नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

- महा प्रवस्थक, हिन्दुस्तान दिवेलियम कारपोरेशन लि विशाखापत्तनम् ।
- 9. महाप्रबन्धक, एम .एम .टी .सी . विशाखवयननम
- 10. संगुक्त निवेशक भारतीय नौबहन निगम
- 11. श्री ही के शर्मा
- 12. श्रीवी वी, रामा राव
- 13. भी बी. बी. बी. रेही
- 14. श्री के. की. कृष्ण कुमार
- 15. श्रीजी, पट्शिरामस्या
 - 2. यह अधिस्थान। । भन्नेल 1990 से प्रभावी होगी।

- --हिन्द्स्तान पैट्रोणियम कारपोरेणन लि. का प्रतिनिधित्व करले के लिए ।
- ~~मिनरल एण्ड मॅंटल्स दैंडिंग कारपोरेणन धाफ इंडिया लि. का प्रतिनिधिस्व करने के लिए।
- —भारतीय नौबहन निगम का प्रतिनिधिस्व करने के लिए ।
- --पनन में अभे अभिकों का प्रक्षितिश्वत्व करने ये: लिए ।
- ---पनन में लगे श्रामिकों का प्रतिनिधित्य करने थे लिए।
- --फैडरेशन ऑफ ब्राध्य प्रदेश वैस्वर्स वाफ कामर्ग गंड देखस्ट्री है। शासाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- --विशाखापननम चैस्थमं ऑफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- इंडियन नेणनल शिप ओनर्स एसोसिएणन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

G.S.R. 432(E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hreby appoints the person mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1.	Chairman -	_	
2.	Deputy Chairman -		
3,	Principal Secretary, Transport, Roads & Building – Deptt. Government of Andhra Pradesh	- Representing the Government of Andhra Pradesh.	
4.	Deputy Secretary (PT) Ministry of Surface Transport.	-Representing the Ministry of Surface Transport.	
5,	Additional Collector of Customs, Visakhapatnam -	- Representing the Customs Department.	
6.	Divisional Railway Manager-Waltair, South Eastern Rly.	Representing the Indian Railways.	
7.	Naval Officer-in-Charge Visakhapatnam	 Representing the Defence Services-Navy. 	
8.	General Manager, Hindustan-Petroleum Corporation Ltd. Visakhaptanam.	Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	
9.	General Manager, Minerals and Metals Trading - Corporation, Visakhapatnam	- Representing the Minerals and Metals Trading Corportation of India, Ltd.	
10.	Joint Managing Director, Shipping Corporation of India.	- Representing the Shipping Corporation of India.	
11.	Shri D.K. Sarma	- Representing the Labour employed in the Port.	
12.	Shri V.V. Rama Rao	- Representing the Labour employed in the Port.	
13.	Shri B.V.B. Reddy	 Representing the Federation of Andhra Pradesh Chambe of Commerce and Industry, Hyderabad. 	
14.	Shri K.V. Krishna Kumar	 Representing the Visakhapatnam Chamber of Commerce, Visakhapatnam. 	
15.	Shri G. Pattabhi Ramayya -	 Representing the Indian National Shipowners' Association. 	
	2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1990.		

[F.No. PT-18011-8/89-PT YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.